

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनु०। से.को. ले 2 खे 8 के अधि० उष से.को. के नोटिफ अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा लम्बे समय ले पेश नहीं। अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित किया गया है। पत्रावली दि- 21/12/21 को पेश हुई।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर</p>	
31/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। से.को. ले 2 खे 8 के अधि० उपस्थित। अपीलान्त अधिवक्ता को बारम्बार आवाज लगाई गई। आवक अनुपस्थित। पूर्व में ही अनुपस्थित रहे हैं। लम्बे समय ले लंबी नोटिफ उल्लूक करने में असफल रहे हैं। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपीलान्त/पत्रावली अनुपस्थित रहने की स्थिति में पत्रावली अपीलान्त अपीलान्त अफ पेश की अदम्य धारिणी में स्थायिक की जाती है। पत्रावली बाद तारीख तारीख दायरे में पत्रावली है।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर</p>	